न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 219/2012

सायलान :-

1. जोगेन्द्र पुत्र धीसा
2. सुवालाल पुत्र धीसा
3. किरण पुत्री धीसा

जातियान-बावरी साकिन-फालका
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

गै0सा0 :-

1. लादू पुत्र भीका
2. गोरधन पुत्र भीका

जातियान-बावरी निवासी-फालका
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

3. तहसीलदार, जैतारण
भूमिधारी राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
4. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः. 08/11/2012

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 16/06/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 एक ही परिवार के सदस्य है तथा भीका के वारीसान हैं। सरहद मौजा-फालका, तहसील-जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 219 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 315 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 339 रकबा 12 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में सायलान का 1/3 हिस्से पर व गैरसायल 1 व 2 का 1/3-1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। इसी मुजब काबिज होकर काश्त करते हैं। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती खातेदारी में दर्ज हैं, जिसका कानूनन बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के किया जाना आवश्यक हैं। उक्त कृषि भूमि सामलाती खातेदारी में होने से सायलान अपनी कृषि भूमि को काविल काश्त करने हेतु बैंक ऋण लेने में भी परेशानी पैदा होती हैं व अपनी कृषि भूमि मे अलग से कुआ खुदवाकर कनैक्शन लेने में भी परेशानी पैदा होती हैं सायलान उक्त कृषि भूमि के कानूनन बंटवाडा हेतु दिनांक 05/07/2011 को 1/3 हिस्से की भूमि में काश्त करने से भी गैरसायलान ने मना कर दिया तब सायलान ने उक्त वाद बंट्वाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया। सायलान ने गैरसायलान को यह भी कहा कि अपन एक परिवार के सदस्य है तथा आपास में प्रेम भाव रहे भविष्य में आपस में वैमनस्यता पैदा नहीं हो। इसलिए कृषि भूमि का बंटवाडा सभी की सुविधा अनुसार हो सायलान ने गैरसायलान को यह भी निवेदन किया कि खसरा नंबर 219 के रकबे की भूमि को पूर्व से पश्चिम तीन भागो में बांट दी जाए तथा सभी खातेदारान पश्चिमी तरफ स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग कर सके इसी प्रकार खसरा नंबर 315 के रकबे का बंटवाडा किया जाए तथा जिससे खसरा नंबर 315 व 339 के पश्चिम व पूर्व में स्थित रास्ते का उपयोग व उपभोग सभी खातेदारान समान रुप से कर सके। परन्तु गैरसायलान जो

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कि धनबल वाले है ताकत हैं। इस कारण से सायलान को कानूनन बंटवाडा के लिए स्वीकार नहीं करते है। तब सायलान के पास एक मात्र विकल्प न्यायालय में वाद पेश करने का कहा है इसलिए सायलान को सामलाती खातेदारी भूमि का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा किया जाना जायज है अन्यथा सायलान को अपने जायज हक व अधिकारों से महरुम होना पडेगा। सायलान ने गैरसायलान के विरुद्ध बंटवाडे का वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण से गैरसायल संख्या 03 तहसीलदार भूमिधारी राजस्थान सरकार व गैरसायल संख्या 04 उप पंजीयन अधिकारी को आवश्यक पक्षकार बनाया हैं। सायलान मौके पर अपने हिस्सेबुसार अपने बाप दादा के समय से मौके पर काबिज एवं काश्त करते आ रहे है राजस्व रेकर्ड में पूर्व में सायलान के पिता का नाम दर्ज था तथा उनके फौत होने के बाद अभी सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं गैरसायलान संख्या 01 व 02 जमीनों की कीमते बढ जाने के कारण उक्त कृषि भूमि बैचान करने को आमादा है और यदि गैरसायलान ने उक्त कृषि भूमि को बिना कानूनन बंटवाडा करवायें बैचान कर दिया, तो सायलान अपने जाजय हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगें। सायलान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर सायलान का कब्जा काश्त है सायलान के शपथ पत्र एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं उपरोक्त कारणों से सायलान के पक्ष मे है। एवं गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना अतिआवश्यक हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–फालका में पेश हुई। गै0सा0 संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। गै0सा0 संख्या 3 व 4 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 30/01/2014 को की गई। बहस वकुलाय सुनी गई। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08/11/2012 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु गै0सा0 को पाबन्द किया गया था।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–फालका, तहसील–जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 219 रकबा 07 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 315 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 339 रकबा 12 बीघा, कुल किता–3 कुल रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा भूमि की वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभय पक्षकारान् को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द वाद के निर्णय तक किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–फालका पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner